इसे वेबसाईट **www.govtpress.mp.gov. in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025—भाद्र 21, शक 1947

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४०(ग)

अंतिम नियम

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2025

ई. फा. क्र.-610174-इक्कीस-ब (एक)-2025.—यत:, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 643/2015, ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य, आदेश दिनांक 27 जुलाई 2022 में दिए गए निर्देशों के पालन में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उपनियम (1) में, खण्ड (दस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दस) सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए होगी.".

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

E. F. No. 610174-XXI-B (One)-2025.—WHEREAS, in compliance of directions made by Hon'ble the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/15, All India Judges Association *Vs.* Union of India and Others dated 27th July 2022 and in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2022, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1), for clause (x), the following clause shall be substituted, namely :—

"(x) The maximum limit of all kinds of gratuity shall be Rs. 25 Lakhs.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 2024.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाठक, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.